भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2443

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति

2443. प्रो. सौगत रायः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की क्या करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई राष्ट्रीय नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता, नर्सिंग सुविधाओं की कमी, मानसिक खुशी के लिए स्थान आदि जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लोगों में जागरुकता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) देश के वरिष्ठ नागरिकों का लिंग और राज्य-वार अनुपात कितना है;

(च) क्या यह सच है कि 2050 में हर पांच भारतीयों में से एक वरिष्ठ नागरिक होगा; और

(छ) क्या सरकार के पास वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, आवास और अवसंरचना के मुद्दों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी बनाने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): वृद्धजनों से संबंधित राष्ट्रीय नीति, 1999, जो पहले से ही लागू में वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनकी वित्तीय और खाद्य

सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, आश्रय, संरक्षण और अन्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के समर्थन की परिकल्पना की गई है।

सरकार देश में वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं से अवगत है। देश में वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक व्यापक योजना अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) लागू कर रहा है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:-

i. **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)** - वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

ii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी)** - वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के तहत भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य कार्य योजना को लागू करने तथा उसमें सहभागी बनने के लिए सभी राज्य सरकारों को बड़ी एवं महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना करती है। इसके अंतर्गत जागरूकता सृजन, संवेदीकरण, मोतियाबिंद सर्जरी और राज्य विशिष्ट कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

iii. **एल्डरलाइन** - वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन का उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संचालित अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना और देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करना है।

iv. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)** - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)' को कार्यान्वित कर रहा है,

जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों अथवा 15000/- रुपये से कम मासिक आय वाले और आयु-संबंधी दिव्यांगता/दुर्बलता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण प्रदान करना है, जो उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में ला सकें। इस योजना का कार्यान्वयन 'कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)' (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किया जाता है।

v. **सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई)** - इसका उद्देश्य आम तौर पर सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए अनोखे और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। इसके तहत अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। स्टार्ट-अप का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और फंड इक्विटी के रूप में प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते कि सरकारी निवेश फर्म की कुल इक्विटी का 49% से अधिक न हो।

vi. **जराचिकित्सा सेवा प्रदाता का प्रशिक्षण**- इसका मुख्य उद्देश्य जराचिकित्सा सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को कम करना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में प्रोफेशनल सेवा प्रदाताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके।

vii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल** - स्वस्थ और उपयोगी वृद्धावस्था की समस्याओं का समाधान करने के लिए देश भर में कई पहलें की जा रही हैं। प्रस्तावित पहल का उद्देश्य ज्ञान को प्रसारित करने की दिशा में वृद्धजनों को शामिल करना है, जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम,

2007 को अधिसूचित किया है, ताकि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम के तहत बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण का प्रावधान किया गया है, जिसे न्यायाधिकरणों के माध्यम से अनिवार्य और न्यायोचित बनाया गया है, रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द किया जाता है, वरिष्ठ नागरिकों को त्यागने पर दंडात्मक प्रावधान किया गया है, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था व्यवस्था की गई है।

(घ): जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट, ई-अनुदान पोर्टल, सोशल मीडिया और राज्य सरकारों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाएं और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वरिष्ठ नागरिकों के महत्व और जरूरतों के बारे में देश भर में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाता है।

(ङ): जनगणना 2011 के अनुसार देश में वरिष्ठ नागरिकों का लिंग और राज्यवार अनुपात **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(च): राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 से 2036 के बीच, वृद्धजनों (60 वर्ष और उससे अधिक) की जनसंख्या का अनुपात 2011 में 10 करोड़ से बढ़कर 2036 में 23 करोड़ हो जाने का अनुमान है जिससे कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो जाएगी।

(छ): जी नहीं।

अनुबंध-I

'वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति' के संबंध में माननीय संसद सदस्य प्रोफेसर सौगत राय द्वारा दिनांक 10/12/2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2443

जनगणना 2011 के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या नीचे दी गई है:-

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या (लगभग)		
		व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1	आंध्र प्रदेश	8278241	3906328	4371913
2	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	25424	14189	11235
3	अरुणाचल प्रदेश	63639	33189	30450
4	असम	2078544	1054817	1023727
5	बिहार	7707145	4106593	3600552
6	चंडीगढ़	67078	34833	32245
7	छत्तीसगढ	2003909	928159	1075750
8	दादरा व नागर हवेली	13892	6359	7533
9	दमन और दीव	11361	4873	6488
10	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1147445	576755	570690
11	गोवा	163495	74315	89180
12	गुजरात	4786559	2245601	2540958
13	हरियाणा	2193755	1088621	1105134
14	हिमाचल प्रदेश	703009	340875	362134
15	जम्मू और कश्मीर	922656	482580	440076
16	झारखंड	2356678	1181745	1174933
17	कर्नाटक	5791032	2747072	3043960
18	केरल	4193393	1883595	2309798
19	लक्षद्वीप	5270	2674	2596

20	मध्य प्रदेश	5713316	2769556	2943760
21	महाराष्ट्र	11106935	5253709	5853226
22	मणिपुर	187694	93137	94557
23	मेघालय	138902	66939	71963
24	मिजोरम	68628	34345	34283
25	नागालैंड	102726	54779	47947
26	ओडिशा	3984448	1994270	1990178
27	पुदुचेरी	120436	53419	67017
28	**पंजाब**	**2865817**	**1443662**	**1422155**
29	राजस्थान	5112138	2432263	2679875
30	सिक्किम	40752	22472	18280
31	तमिलनाडु	7509758	3661226	3848532
32	त्रिपुरा	289544	141920	147624
33	उत्तर प्रदेश	15439904	8037133	7402771
34	उत्तराखंड	900809	441897	458912
35	पश्चिम बंगाल	7742382	3851314	3891068
	कुल	**103836714**	**51065214**	**52771500**

*****